भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1884

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी आर्थिक विकास के लिए रूपरेखा/दिशानिर्देश

†1884. श्री वी. वैथिलिंगमः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार शहरी आर्थिक विकास योजनाओं की तैयारी को सुगम बनाने के लिए रूपरेखा/दिशानिर्देश विकसित किए जाने के विचार से सहमत है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऐसी रूपरेखा विकसित करने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) संविधान का अनुच्छेद 243ब, राज्य विधानसभाओं को नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देने का अधिकार देता है जो उन्हें स्व-शासन संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। इस कानून में नगरपालिकाओं को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण संबंधी उपबंध हो सकते हैं, बशर्ते कि इसमें निर्धारित शर्तें लागू हों, जिन में, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना, और (ii) बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित कार्यों सहित, उन्हें सौंपी गई योजनाओं का कार्य-निष्पादन और कार्यान्वयन शामिल है। सरकार का मानना है कि नगर आर्थिक विकास योजना की रूपरेखा तैयार करना आवश्यक है। मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से दिसंबर, 2024 में आयोजित मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में निष्कर्ष स्वरूप निकले कार्य-बिंदुओं के अनुसरण में ' टियर 2 और टियर 3 सौ शहरों के लिए नगर स्तरीय आर्थिक दृष्टिकोण' तैयार करने का आग्रह किया है।

****